[2019] 9 एस. सी. आर 212

शीओली हाटी

वी.

सोमनाथ दास

(सिविल अपील सं। 5388-5389 2019 का)

11 जुलाई, 2019

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890:

एसएस। 7 और 12-पिता (प्रतिवादी) द्वारा नाबालिग लड़की-बच्चे की अभिरक्षा की मांग के तहत आवेदन-उस माँ पर आरोप लगाना

(अपीलार्थी) पक्षकारों के बीच तलाक के अनुसरण में न्यायालय द्वारा दिए गए अपने मिलने के अधिकारों में बाधा डाल रहा था-बाद में प्रत्यर्थी ने अभिरक्षा का दावा छोड़ दिया और अपने खर्चों पर बच्चे को भारत के किसी भी प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश मांगा-परिवार न्यायालय ने निर्देश दिया कि बच्चे की अभिरक्षा पिता के मिलने के अधिकारों के साथ माँ के पास होगी और बच्चे को 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, यानी शैक्षणिक सत्र के लिए-पक्षकारों द्वारा क्रॉस-अपील-उच्च

अदालत ने दिनांक 26.4.2018 के अंतरिम आदेश द्वारा बच्चे को सत्र 2018-2019 के लिए ऊटी के एक प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में भर्ती होने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बच्चे को ऊटी के आवासीय विद्यालय में भर्ती कराया गया था-सुप्रीम कोर्ट में अपील

न्यायालय-आयोजितः बच्चे की अभिरक्षा या उससे संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेते समय, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है।

विचार-माता-पिता के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अदालतों को बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानना होगा। महत्व-अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पिता का इरादा हमेशा यह रहा है कि बच्चे को तटस्थ वातावरण में सर्वोत्तम शिक्षा मिले-न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी कि बच्चे को नकारात्मक प्रभावों से दूर रखा जाए-जो बच्चे के सर्वोत्तम हित में है वह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है-यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय अंततः बाद की सामग्री पर विचार करने के बाद अपीलों पर निर्णय ले।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. जब बच्चे को उस वातावरण में जाना पड़ता है, जहां उसके माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह होती है जो बच्चे को प्रभावित करती है।

माता-पिता और बच्चों सहित सभी की मन की शांति, बच्चे को नुकसान होता है

शारीरिक और मानसिक पीड़ा। माता और पिता के बीच कलह के बुरे परिणाम बच्चे की सामान्य स्थिति को प्रभावित करते हैं।

परवरिश और बच्चे के व्यक्तित्व और परवरिश पर एक नकारात्मक कारक है। [पैरा 16] [224-ई-एफ]

विवेक सिंह बनाम। रोमानी सिंह (2017) 3 एससीसी 331

पर भरोसा किया।

-

2. बच्चे की अभिरक्षा या उससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में निर्णय लेते समय, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है।

विचार करें। प्रत्येक बच्चे को उचित स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना माता-पिता का प्राथमिक कर्तव्य है कि बच्चे को उचित शिक्षा मिले। पेरेंस पेट्रिया के अभ्यास में अदालतें अधिकार क्षेत्र को इस तरह के नाजुक सवाल का फैसला करना होगा। इसे बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि महत्व देना होगा।

माता-पिता के अधिकारों सहित मामले के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए। बच्चे के हित में क्या है

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और किसी भी निश्चित सूत्र या नियम का पालन किए बिना अपने गुण-दोष पर निर्णय लेना पड़ता है। [पारस 18,19 और 22] [225-ई; 225-एफ-जी; 230-एफ]

गौरव नागपाल बनाम. सुमेधा नागपाल (2009) 1 एससीसी 42:

[2008] 16 एस. सी. आर. 396; श्रिटी होशी डोलिकुका बनाम।

होशियाम शावक्ष डोलिकुका (1982) 2 एस. सी. सी. 544: [1983] 1 एससीआर 49; नूतन गौतम बनाम। प्रकाश गौतम

(2019) 4 एस. सी. सी. 734 पर भरोसा किया।

3. वर्तमान मामले में, यह प्रतिवादी-पिता है, जो ऊटी में बोर्डिंग स्कूल में बच्चे के सभी खर्चों को वहन कर रहा है।

जो प्रति वर्ष Rs.10 लाख से अधिक हैं। स्कूल के उपरोक्त खर्चों के अलावा, प्रतिवादी ने भी वहन करने की पेशकश की

उड़ान शुल्क और अपीलार्थी के रहने का खर्च-माँ जब जमशेदपुर से ऊटी में बच्चे से मिलने जाती है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, न्यायालय संतुष्ट है कि प्रतिवादी का इरादा हमेशा यह रहा है कि बच्चे को तटस्थ वातावरण में सर्वोत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व के विकास में मदद मिल सकती है। अपीलार्थी ने शुरू से ही बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की प्रत्यर्थी की प्रार्थना का विरोध किया है और ऊटी में

स्कूल में गलती खोजने की कोशिश की है। जिस परिस्थिति में बच्चा वहां है, अदालत को [2019] 9 एस. सी. आर. लेना होगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी और सावधानी बरतें कि बच्चे को नकारात्मक प्रभावों से दूर रखा जाए। यहां तक कि परिवार न्यायालय ने भी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया है, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से। उच्च न्यायालय ने शुरू में निर्देश दिया कि

बच्चे को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, जमशेदपुर में भर्ती कराया जाएगा

और उक्त विद्यालय से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, उच्च न्यायालय ने बच्चे को गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए प्रवेश देने का निर्देश दिया, जो आदेश इन अपीलों में चुनौती के अधीन है। [पैरा 13,14] [223-ई-एच; 224-ए-बी]

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 26.04.2018 आदेश,

वर्तमान अपीलों में आक्षेप को प्रभावी बना दिया गया है और दोनों अपीलें अभी भी उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में लंबित हैं, यह उचित होगा कि उच्च न्यायालय अंततः पक्षों को सुनने के बाद अपीलों पर निर्णय ले। इस स्तर पर इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

[पैरा 15] [224-सी]

5. उच्च न्यायालय को अंततः अपीलों पर निर्णय लेते समय बाद की सामग्री पर भी विचार करना चाहिए जो हो सकती हैं -

गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी से बच्चे की प्रगति रिपोर्ट सहित पक्षों द्वारा इसके सामने लाया गया। उच्च न्यायालय के लिए चिकित्सा मुद्दों पर निर्णय लेने और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी खुला है।

आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलों की सुनवाई के दौरान कहा था कि

पहले से ही कई मौकों पर बच्चे के साथ बातचीत हो चुकी है और बच्चे के साथ बातचीत के संबंध में निर्णय लेना उच्च न्यायालय का काम है। [पैरा 22] [230-एफ-एच]

मामला कानून संदर्भ

(2017) 3 एस. सी. सी. 211

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2008] 16 एससीआर 396

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1983] 1 एससीआर 49

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

(2019) 4 एस. सी. सी. 734

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2019 की सिविल अपील Nos.5388 5389।

शीओली हाटी बनाम। सोमनाथ दास

2016 के एफ. ए. सं. 68 के साथ 2016 के एफ. ए. सं. 59 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से

प्रशांत भूषण, सुदीप डे, नवदीप जैन, निकिलेश रामचंद्रन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अशोक पाणिग्रही, अनमोल तायल, एस. विनय रत्नाकर, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

इन अपीलों में सामने आया है। उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय अपीलार्थी द्वारा दायर 2016 की पहली अपील No.59 और प्रतिवादी द्वारा दायर 2016 की पहली अपील No.68 में पारित किया गया था, दोनों ने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.03.2016 के आदेश को चुनौती दी थी। संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 7 और 12 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर 2012 के संरक्षकता मामले में जमशेदपुर।

3. इन अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य और परिस्थितियाँ

ये हैं:

3.1 अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की शादी वर्ष 2003 में हुई थी। दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद रहा है।

वर्ष 2006 से। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी से 09.04.2007 पर एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम अदिति था। अपीलार्थी ने विभिन्न अधिकारियों, प्रत्यर्थी के नियोक्ता के साथ-साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका प्रतिवादी द्वारा बेंगलुरु में दायर की गई थी, जहां प्रतिवादी रह रहा था। वर्ष 2008 में, अपीलार्थी ने प्रतिवादी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत 2008 का मामला No.204 दर्ज किया। वर्ष 2008 में, प्रतिवादी ने परिवार न्यायालय, बेंगलुरु के समक्ष तलाक की डिक्री की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे 2008 के वैवाहिक मामले No.3358 के रूप में दर्ज किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 प्रतिवादी ने 2008 के कदमा पीएस मामले No.204 के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें मामले में पक्षकारों को अग्रिम जमानत दी गई थी।

उनके मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए मध्यस्थता और सुलह का उल्लेख किया गया। 11.09.2009 पर, बैंगलोर के प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने 11.09.2009 दिनांकित तलाक का एकतरफा फरमान जारी किया।

2009 के अग्रिम जमानत आवेदन के लंबित होने के दौरान, पक्षों ने झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपने सभी विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया। पक्षों के बीच दिनांकित 19.12.2009 के एक समझौते के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी सहमत हो गया

अपीलार्थी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में रुपये की राशि का भुगतान करना। इसके अलावा, प्रत्यर्थी अदिति के सर्वकालिक रखरखाव के लिए उसके नाम पर रुपये जमा करने के लिए सहमत हो गया। अपीलार्थी आगे एकतरफा तलाक की डिक्री को चुनौती नहीं देने पर सहमत हो गया। अपीलार्थी जनवरी, 2010 से हर दो महीने में एक बार प्रत्यर्थी को अपने बच्चे से मिलने की अनुमति देने पर भी सहमत हुआ। उच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा किया

समझौता।

3 प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा अपने यात्रा अधिकारों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु में अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 7 और 12 के तहत बच्चे अदिति की अभिरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत उक्त कार्यवाही को जमशेदपुर में परिवार न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था

इस न्यायालय के दिनांक 27.03.2012 के आदेश के तहत। अपीलार्थी ने 2012 के संरक्षकता मामले No.11 में लिखित बयान दायर किया। प्रत्यर्थी ने परिवार न्यायालय, जमशेदपुर के समक्ष एक संशोधन आवेदन किया, जिसमें संरक्षकता मामले में अपने आवेदन में एक अनुरोध को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक राहत की प्रार्थना की गई, अर्थात, बच्चे को प्रत्यर्थी के खर्च पर भारत के किसी भी प्रतिष्ठित आवासीय/बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश देने के लिए, जो

संशोधन आवेदन को दिनांकित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी

16.05.2013 . प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने दिनांक 31.03.2016 के आदेश द्वारा 2012 के संरक्षकता मामले No.11 का फैसला किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संरक्षकता कार्यवाही में प्रतिवादी उसने बच्चे की अभिरक्षा के अपने दावे को छोड़ दिया है और अपने मामले को वैकल्पिक प्रार्थना, यानी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश देने के निर्देश तक सीमित कर दिया है। परिवार न्यायालय, जमशेदपुर पैराग्राफ में

41 निर्देशित निर्णय के बारे में:

शीओली हाटी बनाम। सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

" 41. इस प्रकार, ऊपर की गई चर्चाओं को देखते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की नाबालिग बेटी अदिति विशाखा दास देखभाल, अभिरक्षा और हिरासत में बनी रहेगी।

11 वर्ष की आयु तक उसकी माँ की संरक्षकता और अपनी माँ के साथ जमशेदपुर से अपनी शिक्षा जारी रखेगी। तथापि, याचिकाकर्ता के पास भेंट का अधिकार होगा जैसा कि पहले से ही जारी है अर्थात मामले के लंबित रहने के दौरान। हालाँकि, याचिकाकर्ता उस स्कूल की प्रत्येक छुट्टी के आधे हिस्से के लिए बच्चे की अभिरक्षा का हकदार होगा जहाँ अदिति पढ़ रही है या पढ़ रही होगी और छुट्टी के पहले आधे हिस्से के लिए अदिति अपने पिता यानी याचिकाकर्ता की देखभाल और अभिरक्षा में होगी।

छुट्टीक दोसर भागमे ओ अपन मायक देखरेख आ अभिरक्षा मे रहत। ऊपर उल्लिखित अवकाश प्रत्येक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश होते हैं। इसके अलावा, अदिति 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर यानी शैक्षणिक सत्र के लिए उसे एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाएगा जहां वह अर्हता प्राप्त करती है और प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम होती है। इस तरह के बोर्डिंग स्कूल का पूरा खर्च याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और एक बार जब अदिति बोडिंग स्कूल में प्रवेश करती है तो प्रतिवादी को स्कूल कैलेंडर द्वारा अनुमति के अनुसार अपनी बेटी से मिलने का अधिकार होगा, लेकिन याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता की कीमत पर ऐसी लागत का भुगतान करना होगा जिसमें यात्रा का हवाई किराया और अन्य खर्च अग्रिम रूप से शामिल होंगे। मुद्दा संख्या वी उसी के अनुसार तय किया जाता है। छुट्टी के दौरान हिरासत

पहले की तरह जारी रहेगा।

3.4 परिवार न्यायालय ने निर्देश दिया कि अदिति 11 वर्ष की आयु तक अपनी माँ की अभिरक्षा और संरक्षकता में बनी रहेगी और जमशेदपुर से अपनी शिक्षा जारी रखेगी। प्रतिवादी को मिलने का अधिकार दिया गया था और स्कूल की प्रत्येक छुट्टी के आधे हिस्से के लिए बच्चे की अभिरक्षा की भी अनुमति दी गई थी। छुट्टियों का पहला भाग उसकी देखभाल और अभिरक्षा में हो

पिता और दूसरा आधा माँ की अभिरक्षा में हैं। परिवार न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र के लिए 2019-2020 उसे एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाएगा जहाँ

वह अर्हता प्राप्त करती है और प्रवेश पाने में सक्षम होती है।

3.5 परिवार न्यायालय के फैसले से व्यथित दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। अपीलार्थी ने 2016 की पहली अपील No.59 दायर की और प्रतिवादी ने 2016 की पहली अपील No.68 दायर की। उच्च न्यायालय ने [2019] 9 एस. सी. आर. पर बच्चे के साथ बातचीत की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में कक्षा IV में प्रवेश लिया गया जो सत्र 2018-2019 के लिए ICSE से संबद्ध एक आवासीय संस्थान है, जो 21.07.2018 से शुरू हुआ था। ये अपीलें इस न्यायालय द्वारा 10.07.2018 पर ली गई थीं। अपने क्रम में दिनांक 10.07.2018 इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

" कल और आज भी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि विवादित आदेश में उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है

जिसके तहत उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बच्चा अदिति बिसाखा दास को गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में पांचवीं कक्षा में भर्ती कराया जाए, जहां प्रतिवादी पहले ही प्रवेश ले चुका है।

उसके लिए प्रवेश सुनिश्चित किया। यह व्यवस्था, उच्च के अनुसार

न्यायालय का आदेश, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए बनाया जाता है। हम यह भी पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने मामले के सभी विकल्पों और 2 पक्ष और विपक्ष पर विचार करने और चर्चा करने के बाद यह आदेश पारित किया है और अपनी राय बनाई है कि यह एक है

सबसे उपयुक्त समाधान।

हम महसूस करते हैं कि एक बार ऐसा आदेश उद्देश्य पर दिया जाता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, यह बेहतर है कि बच्चे को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में उक्त स्कूल में भर्ती कराया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह ऊटी के उक्त स्कूल में कैसे पढ़ाई कर सकती है और उसे वर्तमान वातावरण से बोर्डिंग स्कूल में स्थानांतरित करने में वह किस तरह की प्रगति कर सकती है। शीओली हाटी बनाम।

सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

5 उच्च न्यायालय के दिनांक 26.04.2018 के आदेश के अनुसरण में,

अंततः, बच्चे, अदिति को अपीलार्थी द्वारा अनिच्छा से गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में भर्ती कराया गया। प्रत्यर्थी के यात्रा अधिकारों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा शीतकालीन अवकाश के लिए 12.12.2018 पर आदेश पारित किए गए थे। इसके बाद

सर्दियों की छुट्टियों का दूसरा हिस्सा पिता के साथ बिताते हैं।

बच्चा 13.01.2019 पर अपनी माँ के जन्मदिन में भाग लेने के लिए जमशेदपुर गया था। जन्मदिन में भाग लेने के बाद उन्हें रांची से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी। पिता को एक वकील के साथ बच्चे को ले जाना था। हवाई अड्डे पर आई. डी. 1 पर बच्ची ने सी. आई. एस. एफ. कर्मियों से शिकायत की कि वह अपने पिता के साथ बेंगलुरु नहीं जाना चाहती। सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया कि

संबंधित पुलिस थाना और महिला पुलिस कर्मी

बच्चे के साथ बातचीत की। हालाँकि अपीलार्थी और उसके पिता को टेलीफोन पर सूचित किया गया था, लेकिन वे बच्चे को लेने नहीं आए और बच्चे को अंततः एक आश्रय गृह में रखा गया। बाल कल्याण समिति, रांची (झारखंड) ने भी बच्चे के साथ बातचीत की। इस न्यायालय ने 21.01.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश दिएः

एक महिला साथी के साथ बच्चे की यात्रा, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को ले जाने और बच्चे को स्कूल के प्राचार्य को सौंपने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। इस आदेश का पालन बाल कल्याण समिति द्वारा इस आदेश को प्रस्तुत करने की तारीख से तीन दिनों के भीतर किया जाएगा। सभी पक्षों के बीच अन्य मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा।

बाद में। हम आगे निर्देश देते हैं कि बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए। विद्यालय के प्राचार्य इस न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में शैक्षणिक सत्र की अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। स्कूल इस शैक्षणिक सत्र के अंत तक विस्तृत रिपोर्ट भी भेज सकता है।

तदनुसार, आई. ए. का निपटान किया जाता है।

चार सप्ताह के बाद मामलों को सूचीबद्ध करें। "[2019] 9 एस. सी. आर.

3.7 उपरोक्त आदेश दिनांक 21.01.2019 के बाद, बच्चे को उसका सत्र पूरा करने के लिए स्कूल को सौंप दिया गया। इसके अलावा, 21.02.2019 पर, बाल कल्याण समिति, रांची, झारखंड से और 29.01.2019 और 02.02.2019 पर गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी से रिपोर्ट प्राप्त हुई। माँ के अनुरोध पर दिनांक 03.05.2019 के आदेश द्वारा उसे 22.05.2019 से पूरी छुट्टी के दौरान बच्चे की अभिरक्षा रखने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद मामले की सुनवाई 01.07.2019 पर हुई।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बच्चा गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में अच्छा नहीं कर रहा है और उसने उन्हें चिकित्सा संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि विद्यालय द्वारा उचित चिकित्सा देखभाल नहीं ली गई थी। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी ने हमेशा तर्क दिया है कि बच्चे को जमशेदपुर में अपनी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी जहाँ माँ रहती है। अपीलार्थी द्वारा 2019 का एक I.A.No.74433 दाखिल किया गया है जिसमें दूसरी प्रार्थना यह है कि अदिति को जमशेदपुर में शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए किसी प्रतिष्ठित स्कूल में या वैकल्पिक रूप से अदिति को किसी प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश दिया जाए।

जमशेदपुर के पास बोर्डिंग स्कूल। आवेदन में, अपीलार्थी ने ला-मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल, कोलकाता और लोरेटो कॉन्वेंट एंटली, कोलकाता का उल्लेख किया है। 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने डॉ. देवी प्रसाद राव, चाइल्ड के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिनांक 20.05.2019 का भी उल्लेख किया है।

विशेषज्ञ, अस्पताल रोड, ऊटी और जिला माणिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड से अदिति का एक और पर्चा दिनांक 07.06.2019 है।

6. अपीलार्थी के वकील की दलीलों का खंडन करते हुए प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क है कि बच्चे अदिति ने गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर उत्तर में, प्रत्यर्थी ने शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ द चाइल्ड द्वारा जारी विभिन्न प्रगति रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों का उल्लेख किया है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे ने सभी विकास और कक्षा के अंदर और बाहर की सभी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाई है, स्वास्थ्य समस्याओं की कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। और प्रमाण पत्र। वजन और ऊँचाई विशेष रूप से बढ़ गई है। जवाब के हलफनामे में विद्वान वकील ने सह-पाठ्यक्रम रिपोर्ट कार्ड शीओली हाटी बनाम का उल्लेख किया है।

सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

बच्चे से। उसकी प्रगति रिपोर्ट में, उसे छठी कक्षा में पदोन्नत किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अपीलार्थी है, जो हमेशा सृजन करता रहा है।

बच्चे के सामान्य विकास में बाधा। वह हमेशा पहले दिन से ही बच्चे को प्रतिवादी के खिलाफ जहर देती रही है। बच्चे को हमेशा प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत करने के लिए सिखाया गया है। अपीलार्थी द्वारा बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है ताकि उसे पिता से अलग किया जा सके। बच्चा तटस्थ वातावरण में था और उसने स्कूल में सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है जिसकी अपीलार्थी द्वारा सराहना किए जाने के बजाय,

वह अभी भी चाहती है कि उस बच्चे को स्कूल से बाहर निकाला जाए जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा कई चालें खेली गई हैं।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और गौर किया है

अभिलेखों को। 8. इससे पहले कि हम पक्षों की दलीलों में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ें, 26.04.2018 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करना उपयोगी है, जो वर्तमान अपीलों में आक्षेपित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बच्चा शुरू में उस संस्थान में पढ़ रहा था, जहाँ अपीलार्थी एक शिक्षक है, यानी मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, जमशेदपुर। अब, के आदेशों के अनुसार

उच्च न्यायालय में, बच्चे को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, जमशेदपुर में शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए भर्ती कराया गया था। उच्च न्यायालय ने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, जमशेदपुर की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है, जो 21.03.2018 पर स्कूल से प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट को उच्च न्यायालय द्वारा फैसले के पैराग्राफ No.16 में निकाला गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" " " " उपः -अदिति की स्कूल प्रदर्शन रिपोर्ट

बिसकाहा दास।

साहब,

केस नं.-कंट के संदर्भ में। (क्र.)-08/2017 दिनांक 4600/17.03.2018, अदिति बिसकाहा दास, जो वर्तमान में पढ़ रही हैं, Std हैं।

वी, जिसके पास प्रवेश No.16510 है, वह आने की पूरी कोशिश कर रही है

औसत स्तर।

वर्ष 2017 में जब अदिति को सेक्रेड हर्ड कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती कराया गया था, तो वह अपनी पढ़ाई में औसत से नीचे थी। जब भी उसकी माँ को कक्षा शिक्षक द्वारा बुलाया जाता था, उसका स्वास्थ्य कक्षा शिक्षक और सह-समन्वयक से मिलने की अनुमति नहीं देता था।

प्राथमिक विद्यालय। ऐसा लगता है कि घर का वातावरण संक्रामक नहीं है।

बच्चे को अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चा केवल छह घंटे स्कूल में रहता है और बाकी समय बच्चा घर पर रहता है। अदिती एक बुद्धिमान लड़की है। माता-पिता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह माता-पिता पर निर्भर करता है कि वे बच्चे की मदद करें और सहयोग करें।

विद्यालय के अधिकारियों के साथ काम करें। बच्चे के प्रदर्शन और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह माता-पिता पर निर्भर करता है कि वे आगे का फैसला करें। आवासीय विद्यालय उन्हें भविष्य की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

सिस्टर मृदुला एसी।

प्राचार्य, सेक्रेड हर्ड कॉन्वेंट स्कूल, जमशेदपुर "।

9. एक अन्य कारक जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, वह है जिला परिवीक्षा अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, हेडपुर की रिपोर्ट, जिसे न्यायालय द्वारा माँगा गया था। दिनांकित पत्र द्वारा. 2018 , जिला अधिकारी, जमशेदपुर ने बच्चे अदिति के स्वास्थ्य के बारे में वह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। के संबंध में अनुच्छेद संख्या 5 में

राष्ट्रीय स्थिति, निम्नलिखित राय दी गई थीः

" 5. शिक्षा की स्थितिः - अब अदिति जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट स्कूल में Std.5 में है। उसकी स्कूल प्रगति रिपोर्ट को स्वीकार करना

कार्ड, वह एक औसत छात्रा है लेकिन अदिति के साथ बात करते हुए, इस जांचकर्ता ने स्थापित किया कि वह एक बुद्धिमान लड़की है। बेहतर शैक्षिक वातावरण में और बिना किसी तनाव या तनाव के

वह अपने भविष्य के लिए बेहतर करेगी।

10. उच्च न्यायालय ने परिच्छेद 21 में अंततः कहाः

" 21. इस प्रकार, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, हम बच्चे को एक प्रतिष्ठित स्कूल यानी गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में कक्षा-5 में प्रवेश देने की अनुमति देने के पिता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, जो आईसीएसई से संबद्ध है। सत्र 2018-19 21.07.2018 से शुरू होता है। इस तरह, लड़की सत्र की किसी भी मूल्यवान अवधि को नहीं खोएगी क्योंकि यह अभी शुरू होना बाकी है। जैसा कि पिता द्वारा सूचित किया गया है, योग्यता परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार 10.05.2018 से पहले आयोजित किया जाना है। गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी अपनी विवरणिका प्रदर्शनी के रूप में 1977 में स्थापित किया गया था और इसमें सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रथाओं की सुविधाएं हैं।

प्रतिबद्ध सलाहकारों और सुविधा प्रदाताओं की एक टीम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और अवसर। इसमें एक नॉलेज विलेज, लड़कियों के लिए एक प्रतिष्ठित फिनिशिंग स्कूल के साथ-साथ 9-होल वाला गोल्फ कोर्स, अस्पताल, बैंक, शीओली हाटी बनाम है।

सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

सब्जी फार्म, डेयरी और मुर्गी पालन। यह भारत के तमिलनाडु में नीलगिरी में 150 एकड़ हरी-भरी भूमि में फैला हुआ है। जाहिर है, इसमें विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक और बोर्डिंग प्रतिभाओं के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है। छठी से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए घर हैं। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की परिषद का सदस्य है, जो विश्व स्तरीय विद्यालय का एक मानक है।

शिक्षा. इसमें एक प्रतिष्ठित संकाय है जो वैश्विक विकास से परिचित हैं और समर्पित करने के लिए ग्लोबल विलेज के भीतर रहते हैं।

छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाने के लिए पूरा समय।

11. आक्षेपित आदेश इंगित करता है कि उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ दायर दोनों अपीलों पर अंततः निर्णय नहीं लिया है। यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा लंबित रखा गया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बच्चे के स्कूल में भर्ती होने के बाद मामले को अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के लिए फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए।

13. यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि यह प्रतिवादी है, जो ऊटी में बोर्डिंग स्कूल में बच्चे के सभी खर्चों को वहन कर रहा है, जो रु. से अधिक हैं। 10 लाख पी. ए. स्कूल के उपरोक्त खर्चों के अलावा, प्रतिवादी ने जमशेदपुर से ऊटी में बच्चे से मिलने पर उड़ान शुल्क और अपीलार्थी के रहने का खर्च वहन करने की भी पेशकश की। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी का इरादा हमेशा यह रहा है कि बच्चे को तटस्थ वातावरण में सर्वोत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व के विकास में मदद मिल सकती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी को शुरू से ही बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की प्रत्यर्थी की प्रार्थना का विरोध करने का अधिकार है और

ऊटी के स्कूल में गलती खोजने की कोशिश की। जिस परिस्थिति में बच्चा वहाँ है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी और सावधानी बरतनी होगी कि बच्चे को नकारात्मक प्रभावों से दूर रखा जाए। 14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यहां तक कि परिवार न्यायालय ने भी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया है, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2019 [2019] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2020. उच्च न्यायालय ने शुरू में निर्देश दिया कि बच्चे को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, जमशेदपुर में भर्ती कराया जाए और एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उक्त विद्यालय से, उच्च न्यायालय ने अकादमिक सत्र 2018-2019 के लिए गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में अदिति के प्रवेश के लिए निर्देश दिया, जो आदेश इन अपीलों में चुनौती के अधीन है।

15. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमने अपने दिनांकित 10.07.2018 आदेश में करने से इनकार कर दिया

गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी में कक्षा 5 में अदिति के प्रवेश के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगा दें। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, इन अपीलों में, लागू कर दिया गया है और दोनों अपीलें अभी भी उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हैं, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय अंततः अपीलों पर निर्णय ले सकता है।

पक्षों को सुनने के बाद। 26.04.2018 दिनांकित आदेश को प्रभावी होने के बाद, हम इस स्तर पर इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। पक्षों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय स्वयं सभी मुद्दों पर अंत में निर्णय ले सकता है, लेकिन परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। यह उचित है कि उच्च न्यायालय से अपीलों पर अंतिम निर्णय लेने का अनुरोध किया जाए।

16. बंद करने से पहले, उन मुद्दों पर कुछ टिप्पणियां जो हैं

हमारे सामने उत्पन्न होने की आवश्यकता है। वर्तमान एक ऐसा मामला है, जहां बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा देने या बच्चे की शिक्षा के संबंध में यथास्थिति की अनुमति देने के संबंध में सीमित मुद्दा उत्पन्न हुआ है, जैसा कि उस तारीख को था जब परिवार न्यायालय ने दिनांक 31.03.2016 का आदेश पारित किया था। जब

बच्चे को ऐसे वातावरण में जाना पड़ता है, जहां उसके माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह होती है, जिससे माता-पिता और बच्चों सहित सभी की मन की शांति प्रभावित होती है, बच्चे को शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है। इसके बुरे परिणाम

माता और पिता के बीच मतभेद बच्चे को उसके सामान्य पालन-पोषण में प्रभावित करता है और बच्चे के व्यक्तित्व और पालन-पोषण पर एक नकारात्मक कारक है। विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह, (2017) 3 एस. सी. सी. 211 के मामले में इस अदालत ने "पेरेंटल एलियनशन सिंड्रोम" शब्द पर चर्चा की है। पैराग्राफ में निर्णय की सं. 18 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

. मनोवैज्ञानिक इसे "माता-पिता" कहते हैं।

" 18 .

अलगाव सिंड्रोम "। इसमें कम से कम दो मनोवैज्ञानिक विनाशकारी हैं।

प्रभावः

(i) सबसे पहले, यह बच्चे को एक प्रतियोगिता के बीच में रखता है

निष्ठा, एक प्रतियोगिता जिसे संभवतः नहीं जीता जा सकता है। बच्चा है।

यह चुनने के लिए कहा गया कि पसंदीदा माता-पिता कौन हैं। कोई बात नहीं।

जो भी विकल्प हो, बच्चे को शीओली हाटी बनाम महसूस होने की बहुत संभावना है।

सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

दर्दनाक रूप से दोषी और भ्रमित। ऐसा इसलिए है क्योंकि

अधिकांश मामलों में, बच्चा जो चाहता है और चाहता है वह प्रत्येक माता-पिता के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध जारी रखना है। अपने स्वयं के संघर्षों से जितना संभव हो सके।

((ii) दूसरा, बच्चे को वास्तविकता का आकलन करने में बदलाव करने की आवश्यकता है। एक माता-पिता को सभी समस्याओं के लिए पूरी तरह से दोषी होने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी भी सकारात्मक विशेषताओं से रहित है। ये दोनों दावे एक माता-पिता की वास्तविकता के विकृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

17. उपरोक्त मामले में भी पिता और माता के बीच कड़वा झगड़ा हुआ था। परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी-माँ की अभिरक्षा के लिए याचिका को खारिज करते हुए नाबालिग लड़की की अभिरक्षा पिता को देने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने अपील पर माँ को बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार देने का फैसला किया। उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित पिता ने अपील दायर की थी, जिसकी पृष्ठभूमि में इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त टिप्पणियां की गई थीं। एक-दूसरे के खिलाफ नकारात्मक भावना रखने वाले माता-पिता के बीच कलह के कारण बच्चे पर बुरा प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ता है, जो बच्चे के सामान्य विकास में बाधा डालता है।

18. यह अच्छी तरह से तय है कि हिरासत के संबंध में निर्णय लेते समय

या बच्चे से संबंधित अन्य मुद्दे, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार का विषय है। गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल मामले में यह अदालत, (2009) 1 एस. सी. सी. 42 के पास बाल अभिरक्षा और भेंट अधिकारों के मुद्दों को निर्धारित करते समय मापदंडों पर विचार करने का अवसर था, इस विषय पर पूरे कानून की समीक्षा की गई थी। इस न्यायालय ने अंग्रेजी कानून, अमेरिकी कानून, संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के वैधानिक प्रावधानों और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लेख किया। 43 , 44 , 45 , 46 और 51:

" 43. एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। इस सवाल का निर्धारण करने में कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसे दी जानी चाहिए, सर्वोपरि विचार है -

" बच्चे का कल्याण "और कानून के तहत माता-पिता के अधिकार नहीं

वर्तमान में लागू होने के लिए।

44. उपरोक्त वैधानिक प्रावधान कई मामलों में भारत में न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए सामने आए। आइए हम कुछ निर्णयों पर विचार करें जिनमें अदालतों ने संबंधित सिद्धांतों को लागू किया है।

नाबालिग बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी अभिरक्षा प्रदान करना

ब्याज और कल्याण सर्वोपरि विचार के रूप में।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. सरस्वतीबाई श्रीपद वेद बनाम। श्रीपद वसंजी वेद, आईएलआर

1941 बम 455: ए. आई. आर. 1941 बम 103; बॉम्बे का उच्च न्यायालय

कहा गया;

" ..... यह पिता का कल्याण नहीं है, न ही पिता का कल्याण है।

माता, यह न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार है। यह है।

नाबालिग और अकेले नाबालिग का कल्याण जो है सर्वोपरि विचार "।

(जोर दिया गया)

46. रोजी जैकब बनाम। जैकब ए. चक्रमक्कल, (1973) 1 एससीसी 840, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1890 के अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य नहीं है

नाबालिग के कल्याण के सवाल पर विचार करते हुए, उचित ध्यान दिया गया है स्वाभाविक संरक्षक के रूप में पिता के अधिकार को दिया जाने वाला पाठ्यक्रम

लेकिन अगर पिता की अभिरक्षा कल्याण को बढ़ावा नहीं दे सकती है

बच्चों, उसे इस तरह की संरक्षकता से इनकार किया जा सकता है।

51. अधिनियम की धारा 13 में उपयोग किया गया "कल्याण" शब्द होना चाहिए

इसका शाब्दिक अर्थ लगाया गया है और इसे व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। द.

बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए

न्यायालय के साथ-साथ उसका शारीरिक कल्याण भी। यद्यपि के प्रावधान विशेष कानून जो माता-पिता के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं या

अभिभावकों को ध्यान में रखा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो

न्यायालय के अपने माता-पिता के अधिकार का प्रयोग करने के रास्ते में खड़ा हो सकता है

ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली अधिकारिता "।

19. प्रत्येक बच्चे को उचित स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार है और यह

यह सुनिश्चित करना माता-पिता का प्राथमिक कर्तव्य है कि बच्चे को उचित शिक्षा मिले। माता-पिता के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को निर्णय लेना होता है

ऐसा नाजुक सवाल। इसे बच्चे के कल्याण के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च महत्व के रूप में विचार करना होगा। माता-पिता के अधिकारों सहित भी। एक नाबालिग की अभिरक्षा के संदर्भ में, इस न्यायालय ने श्रिटी होशी डोलिकुका बनाम होशियम शावाक्षा डोलिकुका, (1982) 2 एस. सी. सी. 544 में कुछ सिद्धांतों को विस्तार से बताया था, जहां इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। पैराग्राफ No.17 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 17. नाबालिग की अभिरक्षा के संबंध में कानून के सिद्धांत यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है। यह अच्छी तरह से तय है कि कोई भी मामला शीओली हाटी बनाम।

सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

नाबालिग के संबंध में, केवल नाबालिग के कल्याण और हित के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। नाबालिग से संबंधित मामले से निपटने में, न्यायालय की एक विशेष जिम्मेदारी होती है और कल्याण पर विचार करना न्यायालय का कर्तव्य है।

नाबालिक के हितों की रक्षा के लिए। नाबालिग की अभिरक्षा के प्रश्न पर विचार करते हुए, न्यायालय को केवल नाबालिग के कल्याण पर विचार करके निर्देशित किया जाना चाहिए।

20. उपरोक्त मामले में, नाबालिग लड़की का मुद्दा हिरासत के संदर्भ में विचार के लिए आया था। माँ, जो स्कूल की शिक्षिका थी, चाहती थी कि बच्चा बोर्डिंग स्कूल जाए, जिसका पिता ने विरोध किया था, वह नाबालिग लड़की को अपने संरक्षण में रखना चाहती थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामले में नाबालिग लड़की ने बोर्डिंग 1 में नहीं जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि माता-पिता के बीच कड़वे संबंधों में एक पति या पत्नी द्वारा अपने पति या पत्नी के खिलाफ बच्चे के दिमाग में जहर डालने के किसी भी प्रयास का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। पैराग्राफ संख्या में। 32 35 तक

विंग निर्धारित किया गया थाः

" 32. अपने माता-पिता के बीच कड़वे रिश्ते का छोटी लड़की पर प्रभाव और पिता द्वारा बेटी के दिमाग को उसकी माँ के खिलाफ जहर देने और उससे अलग करने का प्रयास।

माँ बस विनाशकारी रही है। बुद्धिमान और

समझदार लड़की, जो अपने माता-पिता के बीच कटुता से व्यथित थी, जो अपने माता-पिता में से प्रत्येक के साथ अपना समय बिताना चाहती थी क्योंकि वह दोनों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जैसा कि लेंटिन, जे. ने 28 जून, 1979 के अपने आदेश में दर्ज किया था, वह लगभग घबराहट के कगार पर थी-जैसा कि 31 जुलाई, 1981 के अपने फैसले में डिवीजन बेंच ने उल्लेख किया था। बीच-बीच में पारित किए गए विभिन्न आदेश जो हमने विस्तार से निर्धारित किए हैं, वे इंगित करते हैं कि छोटी लड़की को कितना बड़ा मानसिक तनाव और पीड़ा थी

उसके बीच तीखे विवाद के कारण पीड़ित

माता-पिता। दो साल की इस अवधि के दौरान, लड़की की उम्र कम थी।

घरेलू प्रभाव, क्योंकि वह उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के संदर्भ में अपने झगड़ालू माता-पिता के साथ रह रही थी। छोटा सा। लड़की को समय-समय पर अदालत में पेश होने के लिए भी मजबूर किया जाता था। तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि वर्तमान मामले में नाबालिग पर घर के प्रभाव का प्रभाव पड़ता है।

यह एक उज्ज्वल, खुश और समझदार बच्चे को पूरी तरह से दुख की स्थिति में लाने के लिए किया गया है; और, छोटी लड़की के समझदार दिमाग पर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक तनाव लगभग एक तंत्रिका टूटने का कारण बना है। जब कड़वे झगड़ों [2019] 9 एस. सी. आर. के परिणामस्वरूप एक घर का वातावरण दूषित और तनावपूर्ण हो जाता है।

बच्चा, जिसे अपने बीच के कड़वे रिश्ते को देखते हुए ऐसे टूटे हुए घर में लगातार मनोवैज्ञानिक तनाव में रहना पड़ता है माता-पिता जिनमें से प्रत्येक के लिए उसे बहुत स्नेह है, बच्चे का स्वस्थ और सामान्य विकास गंभीर रूप से प्रभावित होना तय है। ऐसे मामले में बच्चे के हित और कल्याण के लिए,

समाज कल्याण विशेषज्ञ। समाज कल्याण विशेषज्ञ की रिपोर्ट, हालांकि न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है, भारी होने का हकदार है। विचार करें। तत्काल मामले में, विशेषज्ञ ने एक बहुत

पूरे मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और एक अच्छी तरह से तर्क दिया है

रिपोर्ट करें।

34. बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के अनुसार मां ने बच्चे को पंचगनी के किम्मिंस बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराया। इस अदालत द्वारा इस अपील में स्थगन आवेदन में पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा, बच्चे को उक्त बोर्डिंग संस्थान में अपना ठहराव जारी रखने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के समापन पर हमारे द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा हमने निर्देश दिया कि बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए।

35. इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और बच्चे के कल्याण के सर्वोपरि विचार को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि बच्चे के हित और कल्याण की सबसे अच्छी सेवा उसे घरेलू जीवन के प्रभाव से हटाकर और यह निर्देश देकर की जाएगी कि उसे शीओली हाटी v में बने रहना चाहिए।

सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

बोर्डिंग स्कूल। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पंचगनी के किम्मिंस बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को भर्ती कराया गया है।

अच्छी संस्था "।

जहाँ वह पहले बच्चे के हित में पढ़ रहा था। हर मामला जहां बच्चे की अभिरक्षा और शिक्षा से संबंधित मुद्दे का फैसला किया जाता है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। कोई कठोर और निश्चित सूत्र नहीं पाया जा सकता है जिसे प्रत्येक मामले पर लागू किया जा सके। प्रत्येक मामले की अपने तथ्यों में जांच की जानी चाहिए। हम फिर से थ्रिटी होशी डोलिकुका (ऊपर) के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जहां इस अदालत ने यह भी देखा कि बच्चे ने बोर्डिंग स्कूल नहीं जाने की इच्छा व्यक्त की है। उक्त मामले में इस अदालत ने यह विचार रखा कि नाबालिग एक बुद्धिमान वरीयता बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसे उसका निर्णय लेने में ध्यान में रखा जा सकता है।

कल्याण। पैराग्राफ No.26 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 26. हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम नाबालिग बेटी का साक्षात्कार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि हम संतुष्ट हैं।

वर्तमान मामला कि नाबालिग एक बुद्धिमान वरीयता बनाने के लिए योग्य नहीं है जिसे उसके कल्याण का निर्णय लेने में ध्यान में रखा जा सकता है। हमने पहले नाबालिग का साक्षात्कार करने के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के विभिन्न विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को विस्तार से निर्धारित किया है और विद्वान न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों और आदेशों में अपने प्रभाव दर्ज किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दर्ज किए गए प्रभावों से संकेत मिलता है कि नाबालिग ने अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार की इच्छाएं व्यक्त की हैं। यह भी दिखाई देता है कि समाज कल्याण विशेषज्ञ की रिपोर्ट कि इन साक्षात्कारों में [2019] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोमल लड़की के संवेदनशील दिमाग पर एक निराशा और बहुत कुछ हुआ उस पर दबाव और अवसाद। दोनों के लिए उसके प्यार के बीच फटी हुई

नाबालिग को अदालत से अदालत में घसीटा जा रहा है, हम अच्छी तरह से सराहना कर सकते हैं कि नाबालिग लड़की का संवेदनशील मन दुखद रूप से प्रभावित होना तय है।

हालाँकि लड़की काफी उज्ज्वल और बुद्धिमान है जैसा कि द्वारा दर्ज किया गया है बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने अपने आदेशों में

उस लड़की के साथ उनका साक्षात्कार जो कम उम्र की है और उसे रखा गया है एक बहुत ही नाजुक और शर्मनाक स्थिति में क्योंकि

उसके माता-पिता दोनों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण संबंध और मुकदमेबाजी जिसे वह बहुत प्यार करती है, वह ऐसी स्थिति में नहीं है

किसी भी बुद्धिमान पसंद को व्यक्त करें जो उसके लिए अनुकूल हो

कल्याण। कोई भी बच्चा जिसे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में रखा जाता है, मुश्किल से एक बुद्धिमान वरीयता व्यक्त करने की क्षमता हो सकती है

जिसे यह तय करने के लिए न्यायालय के विचार की आवश्यकता हो सकती है कि क्या करना चाहिए बच्चे के कल्याण के लिए अपनाया जाने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन पत्रों

बेटी ने पंचगनी से अपनी माँ को संबोधित किया और

उसके द्वारा अपनी चाची (पिता की बहन) को संबोधित एक पत्र भी जाता है।

यह दिखाने के लिए कि नाबालिग अपने मन को नहीं समझ सकती है

ठीक से

और कोई दृढ़ इच्छा नहीं बना सकते। हम महसूस करते हैं कि भेजने के लिए नाबालिग और वर्तमान मामले में उसका साक्षात्कार न केवल होगा

किसी भी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करता है लेकिन आगे बनाने का प्रभाव पड़ेगा

उसके मन में अवसाद और मनोबल गिरना।

22. इस प्रकार, हमारा विचार है कि क्या हित में है

बच्चा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और किसी भी निश्चित सूत्र या नियम का पालन किए बिना अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों

के कारण, हमारा विचार है कि अपीलों पर अंतिम निर्णय लेते समय, उच्च न्यायालय को बाद की उन सामग्रियों पर भी विचार करना चाहिए जिन्हें पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष लाया जा सकता है, जिसमें गुड से बच्चे की प्रगति रिपोर्ट भी शामिल है।

शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी। विद्वान वकील ने बच्चे से संबंधित कुछ चिकित्सा मुद्दों को भी उठाया है। उच्च न्यायालय के लिए यह भी खुला है कि वह उक्त मुद्दों पर निर्णय ले और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करे। जहाँ तक बच्चे के साथ बातचीत करने की बात है,

अपीलों की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पहले ही कई मौकों पर बच्चे के साथ बातचीत की थी और यह उच्च न्यायालय को बच्चे के साथ बातचीत के संबंध में निर्णय लेना है।

शीओली हाटी बनाम। सोमनाथ दास [अशोक भूषण, जे।]

23. बाल कल्याण समिति, झारखंड और गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी से इस न्यायालय द्वारा क्रमशः 29.01.2019 और 02.02.2019 पर प्राप्त रिपोर्टों को उच्च न्यायालय को इसके लिए प्रेषित किया जाए।

सीलबंद आवरण में विचार करें। 01.07.2019 पर सुनवाई बंद करने के बाद, गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी से सीलबंद लिफाफे में 08.07.2019 दिनांकित एक और रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे नहीं खोला गया है। उपरोक्त सभी रिपोर्टों को सीलबंद लिफाफे में एक विशेष दूत द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाए, जिस पर लंबित पहली अपीलों में विचार किया जाए।

24. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं। द.

उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पक्षों को सुनने के बाद 2016 की पहली अपील और 2016 की पहली अपील पर निर्णय ले। अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है। कल्पना के. त्रिपाठी

अपी

लों का निपटारा किया गया।